

प्रेषक,

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण,
पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994,
परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश,
जगत नारायण रोड, लखनऊ-226003

सेवा में,

समस्त जिला-मजिस्ट्रेट/जनपदीय समुचित प्राधिकारी,
(पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994)
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं.:प.क./पी.सी.पी.एन.डी.टी./816/2024/12628-75 लखनऊ, दिनांक 18/4/24

विषय:-पी0सी0पी0एन0डी0टी0, अधिनियम 1994 से सम्बन्धित विभागीय पोर्टल
"www.pyaribitiya.in" पर अल्ट्रासाउण्ड मशीनों/उपकरणों की स्थिति अधुनान्त
किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पी0सी0पी0एन0डी0टी0, अधिनियम 1994 से सम्बन्धित विभागीय पोर्टल "www.pyaribitiya.in" पर अल्ट्रासाउण्ड मशीनों/उपकरणों की स्थिति अधुनान्त न किये जाने के कारण इकाईयों के पंजीयन के नवीनीकरण अथवा किसी प्रकार के संशोधन की दशा में पंजीयन प्रमाण पत्र (प्रपत्र-बी) पर मशीनों की स्थिति वास्तविक स्थिति से भिन्न त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित होती है, के दृष्टिगत इकाईयों के पंजीयन के नवीनीकरण अथवा किसी प्रकार के संशोधन की दशा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पोर्टल से प्रपत्र-बी का आलेख (ड्राफ्ट) तैयार किये जाने के पूर्व मशीनों की स्थिति पोर्टल पर प्रत्येक दशा में अधुनान्त किया जाना सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें ताकि प्रपत्र-बी पर उपकरणों की वास्तविक स्थिति ही प्रदर्शित हो।

भवदीय,



(डा0 अश्विनी कुमार)
संयुक्त निदेशक, पी0सी0पी0एन0डी0टी0,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
उक्त दिनांक।

पृ0सं0:प.क./पी.सी.पी.एन.डी.टी./816/2024/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- (1) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
- (2) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
- (3) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।

(डा0 अश्विनी कुमार)
संयुक्त निदेशक, पी0सी0पी0एन0डी0टी0,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेषक,

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण,
पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994,
परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश,
जगत नारायण रोड, लखनऊ-226003

सेवा में,

समस्त जिला-मजिस्ट्रेट/जनपदीय समुचित प्राधिकारी,
(पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994)
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं.:प.क./पी.सी.पी.एन.डी.टी./816/2024/

लखनऊ, दिनांक 18/4/24

विषय:-पी0सी0पी0एन0डी0टी0, अधिनियम 1994 से सम्बन्धित विभागीय पोर्टल
"www.pyaribitiya.in" पर अल्ट्रासाउण्ड मशीनों/उपकरणों की स्थिति अधुनान्त
किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पी0सी0पी0एन0डी0टी0, अधिनियम 1994 से सम्बन्धित विभागीय पोर्टल "www.pyaribitiya.in" पर अल्ट्रासाउण्ड मशीनों/उपकरणों की स्थिति अधुनान्त न किये जाने के कारण इकाईयों के पंजीयन के नवीनीकरण अथवा किसी प्रकार के संशोधन की दशा में पंजीयन प्रमाण पत्र (प्रपत्र-बी) पर मशीनों की स्थिति वास्तविक स्थिति से भिन्न त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित होती है, के दृष्टिगत इकाईयों के पंजीयन के नवीनीकरण अथवा किसी प्रकार के संशोधन की दशा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पोर्टल से प्रपत्र-बी का आलेख (ड्राफ्ट) तैयार किये जाने के पूर्व मशीनों की स्थिति पोर्टल पर प्रत्येक दशा में अधुनान्त किया जाना सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें ताकि प्रपत्र-बी पर उपकरणों की वास्तविक स्थिति ही प्रदर्शित हो।

भवदीय,

(डा0 अश्विनी कुमार)

संयुक्त निदेशक, पी0सी0पी0एन0डी0टी0,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृ0सं0:प.क./पी.सी.पी.एन.डी.टी./816/2024/12703-95 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- (1) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
- (2) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
- (3) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।



(डा0 अश्विनी कुमार)

संयुक्त निदेशक, पी0सी0पी0एन0डी0टी0,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।